संख्याः 1581 / I / 2008–3(I) / 20 / 2008

प्रेषक,

एम0एम0सेमवाल
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा
देहरादून।

ऊर्जा विभाग

देहरादूनःदिनांक 25 नवम्बर,2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–267 / XXVII (1) / 2008, दिनांक 27.03.2008 के कम में एवं आपके पत्र संख्याः 1528 / उरेडा–11 (11) / नॉन–प्लान / 2008–09 दिनांक 20–10–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोजनेत्तर पक्ष में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को रू0 9000 हजार (रू0 नब्बे लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– स्वीकृत धनराशि का आहरण कर व्यय तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि उरेडा को प्राप्त होने वाले एवं अब तक प्राप्त हुए सर्विस चार्ज / अन्य स्रोतों यथा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि अवशेष हो। सर्विस चार्ज एवं अन्य स्रोतों से धनराशि अपर्याप्त पड़ने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण उसी मात्रा में किया जायेगा जितनी धनराशि कम पड़े। शेष धनराशि 31.3.2009 तक समर्पित कर दी जायेगी एवं आहरण कर लिए जाने की दशा में राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

2– स्वीकृत धनराशि की फांट निदेशक, उरेडा, देहरादून द्वारा मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के लिये किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त देहरादून कोषागार से मासिक रूप से वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

4– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुए व्यय किया जायेगा। मितव्ययता की मदों में कटौती किए जाने के प्रयास किए जायेंगे।

5– स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7— भविष्य में स्वीकृती तभी की जायेगी जब उरेडा द्वारा वास्तविक व्यय का विवरण, पूर्व स्वीकृत एवं अब स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उसकी उपयोग की स्थिति उपलब्ध करा दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

8— यात्रा व्यय तथा पी0ओ0एल0 एवं वाहन अनुरक्षण पर मितव्ययता के आधार पर व्यय किया जायेगा।

9— जिन व्ययों की अनुमन्यता योजनाओं में सम्मिलित हो उनका वहन उस सीमा तक योजनाओं में वहन किया जायेगा।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—2009 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810—वैकल्पिक ऊर्जा—60—ऊर्जा के अन्य स्त्रोत—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—03—प्रशासनिक व्यय—01—उरेडा के लिए अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 868/एक्स0ए0रस0 वी- 1(2)/2008, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एम0सेमवाल)
अनु सचिव।

संख्याः 1581/2008—3(1)/20/2008,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2— स्टाफ आफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— समस्त परियोजनाधिकारी, उरेडा।
5— वित्त अनुभाग—2
6— सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
7— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8— गार्ड फाईल।

(एम0एम0सेमवाल)
अनु सचिव।